तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स रामकरोरी vs रनवीर सिंह वगैरह दावा	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
5/1/2017	वकील वादीया उपस्थित। पूर्वानुसार वास्ते साक्ष्य वादी दि० 8/2/18 को पेश हो। Riy	
8/2/18	वकील वादीया उपस्थित। साक्ष्य में वादीया रामकरोरी का शपथ पत्र पेश किया और शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8/3/18 को पेश हो। Riy	
8/3/18	कार्य स्थगित वकीलों के ~~कन्डोलेंस~~ के कारण पूर्वानुसार वास्ते साक्ष्य बहस दिनांक ......5/4/18......... को पेश हो। [signature]	
5/4/18	वकील वादीया उपस्थित। पूर्वानुसार बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 26/4/18 को पेश हो। Riy	
26/4/18	वकील वादीया उपस्थित। दावा वादीया प्राथमिक डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते बटवारा स्कीम तलब होकर दिनांक 22/6/18 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प ग्राम पंचायत सलेमपुर में पेश हो। Riy	CMI 1310 10/5/18
22/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प ग्राम पंचायत सलेमपुर में पेश हुई। तहसीलदार सलेमपुर से बटवारा स्कीम तलब हुई। दावा वादीया मुताबिक बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाता है	P.T.O.

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	
	विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर खोलकर पारित किया गया। पत्रावली फैसले के अनुसार दाखिल दफ्तर हो जावे। Sd/-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
36 / 16	दावा	10.06.16	22.06.18

रामकटोरी पत्नि किशनसिंह जाति राजपूत निवासी वाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीया

बनाम

1. राजवीरसिंह 2. प्यारसिंह 3. सोनूसिंह 4. धर्मेन्द्रसिंह 5. शैतानसिंह पि0 मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी वाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0 6. सजन देवी पत्नि मुन्शीसिंह जाति राजपूत निवासी वाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा। 7. विजय कुमार पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी वाढ सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली 8. शाखा प्रबन्धक शाखा पी0एन0बी0 कुड़गांव तहसील सपोटरा जिला करौली 9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प ग्राम पंचायत सलेमपुर मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 26.04.2018 द्वारा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांकः रालोअ/2018/218 दिनांक 22.06.2018 द्वारा बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वादीया भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादीया फाईनल डिकी किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी किया जाकर ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की विवादित आराजी का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादीया रामकटोरी पत्नि किशनसिंह जाति राजपूत सा0 देह राहिन पी.एन.बी. शाखा कुड़गांव के हिस्से मे ख0नं0 1344/1 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा रहेगा।
2. प्रतिवादी सं0 7 विजय कुमार पुत्र रामनाथ जाति ब्राह्मण सा0 देह राहिन पी.एन.बी. शाखा कुड़गांव के हिस्से मे खसरा नं0 1344/2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा (बा0–2), रकबा 03 बिस्वा (गैं0मु0नली) कुल किता 01 कुल रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिकी का जुज रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

पीठसीन अधिकारी(एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner